FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीक

सरकार बनाम् कैलाश कँवर वगै0

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता

किस्म मुकदमा .... मुकदमा नं. 30/2020 .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
20.10.2020	पत्रावली आज वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण नं. 1 ता 11 व 13 ता 16 खातेदारान् में से कोई खातेदारान् उपस्थित नहीं आये एंव ना ही किसी खातेदारान् के द्वारा कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र ही पेश किये गयें है। जिसके कारण उक्त खातेदारान्/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने प्रस्ताव मे अंकित खसरा नम्बरान् में रास्ता मौके पर चालू होने बाबत अवगत कराया है तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर आमजन के आवागमन के काम में आना विदित होता है। प्रकरण में माननीया मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार जयपुर की बजट घोषणा 2015–16 को मध्य नजर रखते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्बन्धित खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये जाने एंव खातेदारान् के द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में प्रचलित रास्ते को मौके पर चालू होकर उक्त रास्ता ग्राम जैतुसर से ग्राम गुढ़ा जाने वाली सड़क से जोड़ता है। उक्त रास्ता ग्राम गुढ़ा जाने वाली मुख्य सड़क से ढ़ाणी बोड़ी तक जाने तथा वर्तमान में मौके पर कोई विवाद नहीं होने बाबत अवगत कराया है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में अंकित भूमि खसरा नम्बरान् के प्रस्तावित प्रचलित रास्ता के सार्वजनिक हित में होने से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर सार्वजनिक हित में स्वीकार किया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.10.23 13:59:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरकार बनाम हैलावा देवर

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज निर्णय, प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मु.नं. 30/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अतः श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1301/ राजस्व/2020 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल जैतुसर तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 3068 रकबा 1.30 हैक्टर में से रकबा 0.06 हैक्टर भूमि को संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक–पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावें एंव राजस्व नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय मोहर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	1136/RA 20-10-20

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.10.23 13:59:42 IST
Reason: SelfAttested